तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज **न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश, क्रम0 3 अजमेर** **सेशन प्रकरण सख्या 125/2025** **सी.आई.एस. 125/2025** **सरकार बनाम सुनिल हांकला व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17.09.2025	अपर लोक अभियोजक उपस्थित। मुलजिमान सुनील हांकला एवं मोनू गुर्जर जे.सी. से जरिये वी.सी. उपस्थित। अन्य मुलजिमान सूरज रावत, कार्तिक, मनीष, कमलेश, जसराज, सुनील गुर्जर, सूरज खिंची व जयदेव स्वयं मय अधिवक्तागण उपस्थित। मुलजिमान विष्णु गुर्जर, कपिल व भोला अनुपस्थित, जिनकी हाजरी माफी जरिये अधिवक्तागण पेश हुई जो आज पेशी हेतु स्वीकार की गयी। शेष बहस सुनी गयी। दौराने बहस विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा निवेदन किया गया कि मुलजिमान के विरूद्ध बाद अनुसंधान धारा 189(2), 115(2), 126(2), 109(1), 304(2), 351(2), 111(2)(बी), 117(2), 117(3), 324(2), 190, 191(2), 61(2)(ए), 249(बी) बी.एन.एस. में आरोप पत्र पेश किया गया है। जिनके सम्बंध में आरोप विरचित करने की पर्याप्त साक्ष्य सामग्री दौराने अनुसंधान एकत्रित की गयी है। अतः मुलजिमान पर उक्त अपराधों का आरोप विरचित किया जावे। वहीं दौराने बहस अधिवक्ता मुलजिमान की ओर से निवेदन किया गया कि प्रकरण में मुलजिमान को झूठा फंसाया गया है। मुलजिमान से कोई बरामदगी नहीं की गयी है। चोट प्रतिवेदन रिपोर्ट में शरीर के मर्म भाग पर कोई भी चोट नहीं है। अतः हत्या के प्रयत्न का अपराध नहीं बनना पाया जाता है। मुलजिम सूरज खिंची घटना में नामजद नहीं है, वरन् उसे बाद में संलिप्त किया गया है। अतः मुलजिमान को आरोपित अपराधों में उन्मोचित किया जावे। मेरे द्वारा बहस के प्रकाश में पत्रावली पर दौराने अनुसंधान एकत्रित साक्ष्य सामग्री का अवलोकन किया गया। प्रकरण में परिवादी सुमेर सिंह ने उपस्थित थाना होकर एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि प्रार्थी का भाई सूरज सिंह दिनांक 29 12.2024 को अपने मित्र जगवीर पुत्र श्री सायर सिंह निवासी मदारपुरा जिला अजमेर के घर से रात्रि करीब 11.00 बजे अपने गांव लाडपुरा मोटरसाईकिल से जा रहा था कि जब वह लाडपुरा हाईवे पुलिया से आगे उत्तराफूड फैक्ट्री से पहले कुछ लोग बोलेरो लेकर खड़े थे, जिन्होंने उसे रूकवाने का प्रयास किया, परन्तु सूरज सिंह वहां से बोलेरो में बेठे व्यक्तियों की नियत को भापते हुए, वहां से अपनी मोटरसाईकिल को भगाकर अपने गांव की ओर जाने लगा, तो उक्त बोलेरो में बैठे लोगो ने सूरज सिंह का पीछा किया। पुलिया के पास वाले शराब के ठेके के सामने जैसे ही सूरज सिंह पहुंचा और अपनी मोटरसाईकिल से उतरकर पेशाब करने उतरा तो जैसे ही सूरज सिंह वहां पर रूका कि पीछे से उक्त बोलेरो संख्या आरजे 01 यूए 5228 वाले ड्राईवर ने सूरज सिंह के आगे बोलेरो को लगा दी और उक्त बोलेरो में सवार सुनील हांकला पुत्र रामदेव निवासी घूघरा, मोनू पटेल निवासी घूघरा, संजय निवासी घूघरा, सोराज निवासी	

	घूघरा, माना हांकला निवासी घूघरा, लाला गुर्जर निवासी बोराज व इसके साथ अन्य 7–8 व्यक्ति जो कि करीब संख्या मे 16–17 व्यक्ति (जिन्हे शक्ल से पहचान सकता है) थे, जो कि शराब के नशे में धुत्त थे तथा जिनके हाथो मे ईंटे, पत्थर लेकर सूरज सिंह पर हमला कर दिया तथा सूरज सिंह को पकडकर उसकी जेब से करीब 4–5 हजार रूपये लूट लिये तथा पत्थर व ईंटो से सिर में मारी जिससे कि सूरज सिंह के सिर में व शरीर में गंभीर चोंटे आई, जिससे सूरज सिंह के सिर में करीब 16–17 टांके आये और पांव में फ्रैक्चर कर दिया व कमर व दूसरे पैर पर गंभीर मारपीट करते हुए घाव कर दिये। ऐसी स्थिति मे उपरोक्त आरोपियों ने सूरज सिंह के साथ लूट करने की नियत से उसको मानव वध करने का प्रयास किया तथा सूरज सिंह को एलानिया धमकिया दी कि यदि तूने थाने पर रिपोर्ट करवाने की कोशिश की तो जान से हत्या कर देगें, किन्तु सूरज सिंह के द्वारा चिखने चिल्लाने पर आपस पास के लोगों को लडाई झगडे की जानकारी होने पर आरोपियों के मध्य बीच बचाव किया अन्यथा सूरज सिंह को जान से खत्म कर देतें, जबकि सूरज सिंह का उपरोक्त आरोपियों से किसी भी प्रकार का कोई लेन देन या रंजिश नहीं थी एवं ना ही सूरज सिंह आरोपियों को पूर्व से ही जानता है, आरोपियों ने लूट की नियत से सूरज का पीछा करते हुए उसके साथ लूट कारित करते हुए मानववध करने के उद्देश्य से गंभीर मारपीट कर चोटे कारित की। उक्त सूरज सिंह के चोटे आने के बाद लाडपुरा के ही आनन्द नाथ एवं उसने एवं अन्य व्यक्तियों के सहयोग से सूरज सिंह को जवाहर लाल नैहरू अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां सूरज सिंह के पांव मे फ्रैक्चर होने के कारण सूरज सिंह को चारभुजा अस्पताल अजमेर में भर्ती करवाया गया। जहां पर सूरज सिंह ईलाजरत है। इस कारण उक्त शिकायत उसके द्वारा प्रस्तुत की जा रही है। उक्त घटना लाडपुरा शराब के ठेके सामने जहां सी.सी.टीवी फुटेज का विडियों ठेके से प्राप्त किया गया जो कि इस शिकायत प्रार्थना पत्र के साथ सलंग्न है। उपरोक्त आरोपीगण जो कि आपराधिक प्रवृति के व्यक्ति है जो कि आये दिन उक्त प्रकार की घटना कारित करते रहते है, इस कारण उक्त आरोपियों की कोई व्यक्ति गवाही भी देने से डरता है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि उपरोक्त आरोपियों को तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार किया जाकर आरोपियों के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कर उचित कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें.....आदि। उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना गेगल द्वारा अभियोग संख्या 212/24 अन्तर्गत धारा 189(2), 115(2), 126(2), 109(1), 304(2), 351(2), 111(2) बी.एन.एस. में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। जिसमें दौराने अनुसंधान गवाहान सुमेर सिंह, शेरसिंह, योगेन्द्र सिंह, मजरूब सूरज सिंह, आनन्द नाथ के पुलिस बयान, चोट प्रतिवेदन रिपोर्ट मजरूब सूरज सिंह, मेडिकल ज्युरिष्ट की रिपोर्ट, नक्शामौका घटनास्थल, फर्द निरीक्षण एवं सुपुर्दगी क्षतिग्रस्त मोटरसाईकिल आरजे 01 बीबी 7510, मजरूब के फोटोग्राफ्स, फर्द जब्ती घटना बाबत पैन ड्राईव, फर्द जब्ती घ टना में प्रयुक्त चमडे का बैल्ट, फर्द जब्ती बोलेरो कार, मुलजिमान की धारा 23(2) भारतीय साक्ष्य अधिनियम की इत्तला, तस्दीक नक्शामौका घटनास्थल, धारा 133 एमवी एक्ट का नोटिस,	

विश्लेषण सी.डी.आर, मुलजिमान सुनिल हांकला, मोनू गुर्जर, कपिल व कमलेश गुर्जर द्वारा संयुक्त होकर किये अपराध की एफआईआर व नतींजा चार्जशीट, इत्यादि का अवलोकन किया गया।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टान्त Sanghi Brothers (Indore) Pvt. Ltd. V. Sanjay Choudhary & Ors. 2009 Cr.L.R. (SC) में यह प्रतिपादित किया गया है कि आरोप की अवस्था पर साक्ष्य का सूक्ष्मता से विश्लेषण किया जाना अपेक्षित नहीं है। मात्र इतना ही देखना पर्याप्त है कि अभियुक्त का सम्बन्ध अपराध से स्थापित हो रहा है या नहीं। यदि पत्रावली पर मजबूत संदेह भी उत्पन्न होता हो तो आरोप विरचित किया जाना चाहिये।

इस प्रकार आरोप विरचित किये जाते समय न्यायालय को केवल मात्र पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य सामग्री से मुलजिमान के विरूद्ध प्राथमिक तौर पर आरोप बनना पाया जाना देखा जाना है। पत्रावली के गुणावगुण पर विवेचन नहीं किया जाना है।

जहां तक उपरोक्त विधिक परिस्थिति के प्रकाश में पत्रावली पर आयी साक्ष्य सामग्री का प्रश्न है, पत्रावली पर आयी साक्ष्य सामग्री से प्राथमिक तौर पर यह बात न्यायालय के समक्ष पूर्णतः स्थापित है कि मुलजिमान समस्त द्वारा एक राय होकर विधि विरूद्ध जमाव का गठन कर उक्त जमाव के सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में मजरूब के साथ मारपीट कर बल व हिंसा का प्रयोग कर बलवा कारित किया एवं संगठित अपराध सिंडीकेट का सदस्य होकर दिनांक 29.12.2024 को रात्रि करीब 11 बजे लाडपुरा हाईवे पर रेल्वे अण्डर पास के पास गाडी बोलेरो संख्या आरजे 01 यूए 5228 में सवार होकर मजरूब सूरज सिंह द्वारा अपनी मोटरसाईकिल आरजे 01 बीबी 7510 से साईड लेने की बात को लेकर मजरूब को रोककर उसके साथ ईंट, पत्थर, बैल्ट इत्यादि से मारपीट कर उसके सिर व शरीर के अन्य भाग पर साधारण व गंभीर उपहतियां कारित की। जिससे यदि उसकी मृत्यु हो जाती तो उक्त अभियुक्तगण हत्या के अपराध के दोषी होते तथा मजरूब के पैर के घुटनों को तोडकर स्थायी क्षति कारित की। साथ ही उसकी मोटरसाईकिल में तोडफोड कर रिष्टी कारित की।

वहीं जहां तक मुलजिमान पर अपराध अन्तर्गत धारा 304(2) बीएनएस झपटमारी व धारा 351(2) बीएनएस आपराधिक अभित्रास का प्रश्न है, प्रकरण में मजरूब सूरज सिंह के धारा 180 बीएनएसएस के तहत लेखबद्ध बयानों में उसके द्वारा कोई भी राशि उससे झपटने बाबत अथवा किसी अन्य व्यक्तियों को क्षति कारित करने बाबत कोई भी धमकी देना नहीं बताया गया है।

वहीं जहां तक मुलजिम सूरज खिंची के विरूद्ध धारा 61(2)(ए) व 249(बी) बीएनएस का प्रश्न है, पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य सामग्री अनुसंधान के दौरान एकत्रित किया जाना दर्शित नहीं है कि मुलजिम सूरज खिंची द्वारा अपराधियों को विधिक दण्ड से बचाने के लिए संश्रय दिये जाने का आपराधिक षडयंत्र किया गया हो तथा इस सम्बंध में पत्रावली पर ऐसी भी कोई साक्ष्य दर्शित नहीं है जिससे यह दर्शित हो कि मुलजिम सूरज खिंची के

संश्रय से या उसकी इत्तला पर किसी मुलजिम को गिरफ्तार किया गया हो। अतः प्रकरण में मुलजिमान समस्त पर धारा 304(2) झपटमारी व 351(2) आपराधिक अभित्रास एवं मुलजिम सूरज खिंची पर धारा 61(2)(ए) व 249(बी) बीएनएस का अपराध का आरोप विरचित करने की पर्याप्त साक्ष्य पत्रावली पर विद्यमान नहीं है। अतः मुलजिमान समस्त को धारा 304(2) व 351(2) बीएनएस व मुलजिम सूरज खिंची को धारा 61(2)(ए) व 249(बी) बीएनएस के अपराध में उन्मोचित किया जाता है।

उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में मुलजिमान सुनील हांकला, मोनू गुर्जर, सूरज रावत, कार्तिक, मनीष, कमलेश, जसराज, सुनील गुर्जर, सूरज खिंची, जयदेव, विष्णु गुर्जर, कपिल व भोला के विरूद्ध धारा 189(2), 115(2), 126(2), 109(1), 111(2)(बी), 117(2), 117(3), 324(2), 190, 191(2) बी.एन.एस. के अपराधों के आरोप विरचित करने के सम्बंध में पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध होने से अभियुक्तगण पर उक्त अपराधों का आरोप पृथक से विरचित करने का आदेश दिया जाता है।

पत्रावली वास्ते विरचित किये जाने आरोप हेतु दिनांक 29.09.2025 को पेश हो। मुलजिमान सुनील हांकला एवं मोनू गुर्जर की जे.सी. अवधि बढाई जाती है। मुलजिमान के जे.सी. वारण्ट पर नोट अंकित किया जावे कि आईन्दा मुलजिमान को आवश्यक रूप से उपस्थित रखा जावे।

(नीरज गुप्ता)
अपर सेशन न्यायाधीश,
क्रम–3 अजमेर